

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं० 1, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०— 2388/19

सी.एन.आर.नं. **UPBR040154632019**

16.05.19

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अनुराग द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र परिवाद सं० 1188/19 अन्तर्गत धारा 26(2)(ii & i)/51, 59 एफ.एस.एक्ट थाना प्रेमनगर, बरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त को झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा मु०. 20,000/रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं० 1, बरेली।